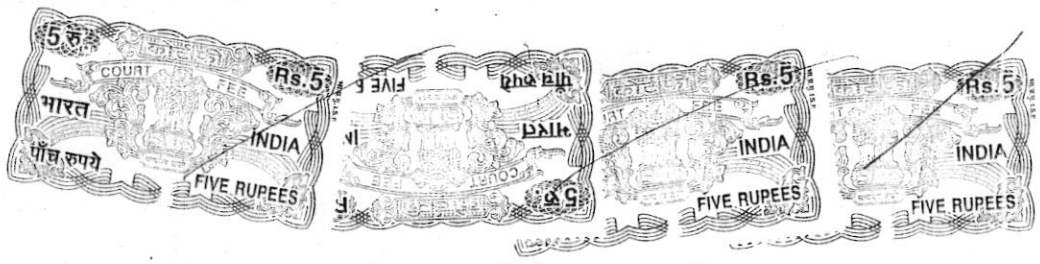

COURT FEE भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

(81)

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. मोती महल ग्वालियर म.प्र.

रिव्यू 3914-[illegible]/14

R. M.
श्री आर.के. शर्मा
अभिभाषक द्वारा
प्रस्तुत
10/11/2014

1. भवंरलाल पिता कवंरलाल खाती
2. रामेश्वर पिता कवंरलाल खाती
3. सत्यनारायण पिता नाथ जी
4. नारायण पिता कचरू जी
5. रामचन्द्र पिता कचरू जी
6. दाखीबाई पिता कचरू जी
7. बसंतीबाई पिता कचरू जी
8. भगवंतीबाई बपिता कचरू जी
9. राजु पिता गणेशराम
10. राजेन्द्र पिता गणेशराम
11. लक्ष्मीनारायण पिता प्रेमकुमार
12. चतरबाई पति प्रेमकुमार
13. नवीन पिता प्रेमकुमार
14. समीता पिता प्रेमकुमार.
15. राधा पिता प्रेमकुमार
16. पार्वतीबाई पत्नी नारायण
17. गोपाल पिता नारायण
18. मुकेश पिता नारायण
19. कचरमल पिता नारायण सभी निवासीगण खाती मोहल्ला सीतामऊ जिला मंदसौर ------- आवेदकगण

क्रमांक 3479
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त
[illegible]
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. रमाकांत पिता बंशीधर ब्राहम्ण निवासी सीतामऊ जिला मंदसौर म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी मौजा खेडा तह. सीतामऊ जिला मंदसौर म.प्र. --------- अनावेदकगण

माननीय महोदय,

पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 निगरानी क्रमांक 2319म/12 मे प्रशासकीय सदस्य महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-7-14 से परिवेदित होकर जानकारी दिनांक 20-9-2014 जिसकी नकल मांगी जो दिनांक 28-10-14 तैयार की जाकर दिनांक 3-11-14 को

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक** रिव्यु 3914–एक / 14 जिला मन्दसौर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 13–7–2017 | आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदकगण पर पूर्व में सूचना पत्र की तामीली हो चुकी है, अतः सूचना उपरान्त भी आवेदकगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।<br>2/ ग्राह्यता पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1–7–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:–<br>1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या<br>2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या<br>3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।<br>आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उनकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है ।<br>2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।<br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |